न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 25/ 2018 जिला दौसा

1. धन्ना पुत्र रूपा
2. रामफूल पुत्र किशन
   जाति मीना , निवासी बन्डोलान की ढाणी बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. किशन लाल पुत्र लक्खा, जाति मीना, निवासी बसवा तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)
2. कन्हैया लाल पुत्र झूंथा, जाति माली, निवासी ढाणी पण्डान की नीमला बाजार बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा
दिनांक 17.4.2018

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विजय सिंह राठौड एवं श्री हनुमान सैनी

निर्णय

दिनांक 27.11.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.4.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 किशन लाल मीना ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8486, 8487, 8488, 8491, 8492 कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 8494 रकबा 0.48 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 8515 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्राम रामा बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा की पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाने बाबत तहसीलदार बसवा को आदेश प्रदान फरमाये जावें ।

रेस्पोंडेन्ट किशन लाल के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.4.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये तहसीलदार बसवा को आदेश दिया गया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 8486, 8487, 8488, 8491, 8492 कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम बसवा एवं खसरा नम्बर 8494 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 8515 रकबा 0.20 हैक्टेयर , ग्राम रामा बसवा की

दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्थरगढी कराई जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के उक्त निर्णय दिनांक 17.4.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 17.4.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि कानूनन लैण्ड होल्डर राजस्व मुकदमों में आवश्यक पक्षकार होता है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे नजरन्दाज करते हुये एवं बिना बहस सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 कन्हैया लाल भी अप्रार्थी के रूप में पक्षकार था, लेकिन उसकी तलबी कराये बिना व साक्ष्य लिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी प्रकियाओं का उल्लंघन किया है । अपीलान्ट की आराजी भूमि खसरा नम्बर 8495 रकबा 0.50 हैक्टेयर ग्राम बसवा में किशन्या पुत्र रूपा मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसके लगते हुये खसरा नम्बर 8507 रकबा 0.23 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि 1/18 हिस्सा अपीलान्ट के नाम व 17/18 रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के नाम है । खसरा नम्बर 8507 की भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के स्वर्गीय पिता लक्खा पुत्र भौर्या व राधेश्याम पुत्र मोती लाल द्वारा अपीलान्ट को अपनी भूमि में जाने हेतु बेचान के लिये था ओर अपीलान्ट उक्त भूमि में से होकर अपनी भूमि में ट्रेक्टर ट्रोली लेकर आता जाता है । लक्खा के फौत होने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई तथा वह कब्जा कर अतिक्रमण कर रहा है । किशन लाल पुत्र लक्खा द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश किया था उसमें हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.5.16 को रिपोर्ट की थी कि खसरा नम्बर 8514 में सह खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है और अवगत कराया था कि सहखातेदार के हस्ताक्षर होने पर गिरदावर एवं पटवारियों की टीम गठित करने पर ही सीमाज्ञान सम्भव है, लेकिन मौके पर जाये बिना दिनांक 4.7.2016 को मात्र कागजों में खसरा नम्बर 8514, 8488, 8491, 8492 की सीमाज्ञान रिपोर्ट बना दी , जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि खसरा नम्बर 8486, 8487 व 8515 का कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना एवं बिना किसी आधार के रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 किशन लाल की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 141 , पुरान 79 के खसरा नम्बर 8486 रकबा 0.32 हैक्टेयर बारानी ''ए'' , खसरा नम्बर 8487 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकीन चाह, खसरा नम्बर 8488 रकबा 0.25

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टेयर बारानी ''ए'', खसरा नम्बर 8491 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी ''ए'', खसरा नम्बर 8492 रकबा 0.14 हैक्टेयर गैर मुकीन नला कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 137 व पुराना 77 के खसरा नम्बर 8494 रबा 0.48 हैक्टेयर बारानी ''ए'' व खाता संख्या नया 139 व पुराना 78 के खसरा नम्बर 8515 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी ''ए'' स्थित रामा बसवा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है । उनका कहना था कि अपीलांट की भूमि उसकी भूमि के लगती हुई होने से सीमा विवाद को लेकर झगडे होते रहने से रेस्पोंडेन्ट ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 8514, 8488, 8491, 8492, 8494 वाके ग्रम बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा का दिनांक 4.7.2016 को सीमाज्ञान करवाया था अपीलान्ट ने सीमाज्ञान के पश्चात सीमा को गलत बताते हुये जबरन अपनी भूमि को रेस्पोंडेन्ट के कब्जे की भूमि में बताना चालू कर दिया जिससे दोनों पक्षों में सीमा विवाद हो गया एवं पत्थरगढी करवाना जरूरी हो गया । रेस्पोंडेन्ट अपनी भूमि मे कृषि कार्य कर रहा था तभी अपीलान्ट एकराय होकर रेस्पोंडेन्ट की भूमि पर आकर उसे धमकी दी कि पटवारी ने सीमाज्ञान गलत कर दिया है , हमारी भूमि तुम्हारे कब्जे में दबी हुई है इसलिये तुम्हारी भूमि पर जबरन कब्जा करगें । एवं हमारी इच्छा होगी वहीं से भूमि लेगें , हम लाठी व पैसे वाले हैं । सीमा विवाद के कारण रेस्पोंडेन्ट ने पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि रेस्पोंडेन्ट किशन लाल पुत्र लक्खा द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 24.5.16 को रिपोर्ट की थी कि खसरा नम्बर 8514 में सह खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है और अवगत कराया था कि सहखातेदार के हस्ताक्षर होने पर गिरदावर एवं पटवारियों की टीम गठित करने पर ही सीमाज्ञान सम्भव है, लेकिन मौके पर जाये बिना दिनांक 4.7.2016 को मात्र कागजों में खसरा नम्बर 8514, 8488, 8491, 8492 की सीमाज्ञान रिपोर्ट बना दी , जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि खसरा नम्बर 8486, 8487 व 8515 का कोई सीमाज्ञान नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना एवं बिना किसी आधार के रेस्पोंडेन्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 किशन लाल मीना के प्रार्थना पत्र धारा 128 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 8486, 8487, 8488, 8491, 8492 कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 8494 रकबा 0.48 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 8515 रकबा 0.20 हैक्टेयर वाके ग्रम रामा बसवा, तहसील बसवा जिला दौसा की पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाने पर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.4.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये तहसीलदार बसवा को आदेश दिया गया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 8486, 8487, 8488, 8491, 8492 कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्रम बसवा एवं खसरा नम्बर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8494 रकबा 0.48 हैक्टेयर, 8515 रकबा 0.20 हैक्टेयर , ग्राम रामा बसवा की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्थरगढी कराई जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 4.7.2016 द्वारा ग्राम बसवा में स्थित खसरा नम्बर 8514, 8488, 8491, 8492 8494 रेस्पोंडेन्ट किशन लाल की उपस्थिति में खसरा नम्बर 8514 गैर मुमकीन चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुये जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया था । उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलान्ट्स के हस्ताक्षर भी नहीं है । उल्लेखनीय है कि उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.4.2018 द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 8486, 8487, 8488, 8491, 8492, 8494, 8515 की पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार बसवा को दिये हैं जबकि उक्त खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 8486, 8487, 8515 सीमाज्ञान रिपोर्ट में अंकित नहीं होने से इनका सीमाज्ञान होना प्रतीत नहीं होता, इस संबंध में अपीलाधीन आदेश में कोई अभिमत भी अंकित नहीं है तथा अपीलान्ट धन्ना वगैहरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब पत्र में अंकित आपत्तियों के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन नहीं किया जाकर संक्षिप्त रूप में आदेशिका पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसे स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 17.11.2018 उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्तानुसार विवेचन कर स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा दिनांक 17.4.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्तानुसार विवेचन कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर